तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रोडसिंह पुत्र कानसिंह रावत, रामनगर मोहल्ला हैड पोस्ट ऑफिस`क पीछे, मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 306001 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 99/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/312 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.22	1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलाण्ट उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 07.01.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./16/2022/1030 दिनांक 23.06.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना से संबंधित पूर्ण विवरण/विशिष्टियों का अंकन नहीं किया गया है। अतः सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है तथा अपीलार्थी को इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/रा.लो.सू.अ./16/2022/1032 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा अवगत करवा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. अपीलार्थी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त नहीं होना बताया। इस पर अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियों का अंकन कर सूचना प्राप्त करने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर अपीलार्थी ने अपनी सहमति प्रकट की। 5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की। अतः यह माना जाता है कि अपीलार्थी वांछित सूचना के संदर्भ में प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। 6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 7. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	